# अनुदान संख्या 48 – पुलिस
# GRANT No. 48 - POLICE

| | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | |
| *प्रभारित–* | *Charged -* | | | | |
| *मूल* | *Original* | *9,56,00* | | | |
| | | | *9,57,00* | *3,45,27* | *-6,11,73* |
| *पूरक* | *Supplementary* | *1,00* | | | |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | *शून्य Nil* |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 77305,24,00 | | | |
| | | | 83968,52,00 | 83731,11,38 | -237,40,62 |
| पूरक | Supplementary | 6663,28,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | शून्य Nil |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | | |
| *प्रभारित–* | *Charged -* | | | | |
| मूल | *Original* | *6,10,00* | | | |
| | | | *6,22,00* | *2,81,06* | *-3,40,94* |
| *पूरक* | *Supplementary* | *12,00* | | | |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | *2,83,00* |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 11057,35,00 | | | |
| | | | 11083,01,00 | 9570,44,64 | -1512,56,36 |
| पूरक | Supplementary | 25,66,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 1435,05,00 |

*टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें इस प्रकार हुईं:–

(I) *₹75.50 लाख* का *विनियोग* (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए *₹0.50 लाख* के सांकेतिक पूरक *विनियोग* सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹345.98 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 99 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

***Notes and comments***

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, savings occurred as under:-

(I) *Appropriation* of *₹75.50 lakhs* (including token supplementary *appropriation* of *₹0.50 lakh* obtained in February, 2019) remained wholly unutilized under four heads.

(II) Under one head saving of *₹345.98 lakhs* occurred constituting 99 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2055" | Major Head "2055" | | | | |
| पुलिस | Police | | | | |
| मू. | O. | 7339328.00 | | | |
| पू. | S. | 588635.00 | 7917099.00 | 7894222.31 | -22876.69 |
| पु. | R. | -10864.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" | Major Head "3601" | | | | |
| राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Grants- in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 389673.00 | | | |
| पू. | S. | 71226.00 | 472865.00 | 472003.07 | -861.93 |
| पु. | R. | 11966.00 | | | |

| शीर्ष | Head | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "3605" | Major Head "3605" | | | |
| अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग | Technical and Economic Co-operation with Other Countries | | | |
| मू. | O. | 1178.00 | .. | .. |
| पु. | R. | -1178.00 | | |

(I) ₹1535.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1178.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3605" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – नेपाल पुलिस अकादमी को सहायता" – के अतंर्गत – विदेश मंत्रालय को स्कीमों का अंतरण किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1535.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹1178.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3605" - "International Co-operation - Assistance to Nepal Police Academy" - due to transfer of scheme to Ministry of External Affairs.

(II) दिसंबर, 2018 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained in December, 2018 under Major Head "2055" - remained wholly unutilized under the following heads as shown against each: -

(का) "शिक्षा और प्रशिक्षण – राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹14135.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹225.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14360.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1703.13 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – संशोधित भर्ती नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, कम घरेलु दौरे किए जाने, सीएनई परियोजना पूरी होने में विलंब होने तथा आईटीसी पाठ्यक्रम को रद्द कर दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Education and Training - National Police Academy"- the original provision of ₹14135.00 lakhs was augmented to ₹14360.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹225.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1703.13 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts owing to non-finalisation of revised recruitment rules, less domestic tours undertaken, delay in completion of CNE Project and cancellation of ITC Course.

(खा) "अनुसंधान–पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" – ₹3695.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹185.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3880.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹895.59 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम संख्या में परामर्शदाता रखे जाने, एक अनुसंधान

(B) "Research - Bureau of Police Research & Development" - the original provision of ₹3695.00 lakh was augmented to ₹3880.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹185.00 lakhs. However, there was a saving of ₹895.59 lakhs (including

परियोजना रद्द होने तथा अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

supplementary grant) - due to hiring of less consultants, cancellation of one research project and non-finalisation of procurement proposals.

(गा) "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता – केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹4018.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹188.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4206.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹635.62 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम संख्या में संविदागत श्रमिकों को रखे जाने तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Criminal Investigation and Vigilance - Central Forensic Science Laboratory" - the original provision of ₹4018.00 lakhs was augmented to ₹4206.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹188.00 lakhs. However, there was a saving of ₹635.62 lakhs (including supplementary grant) - due to hiring of less contractual labours and non-finalisation of proposals.

(घा) "बेतार और कंप्यूटर" –

(D) "Wireless and Computers" -

(क) "अंतर्राज्यीय पुलिस बेतार स्कीम" – ₹7505.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹429.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7934.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹516.03 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम संख्या में परामर्शदाताओं को रखे जाने और कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(a) "Inter-State Police Wireless Scheme" - the original provision of ₹7505.00 lakhs was augmented to ₹7934.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹429.00 lakhs. However, there was saving of ₹516.03 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, hiring of less consultants and slow pace of work.

(ख) "राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो" – ₹6395.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹132.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6527.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2034.95 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/स्थगित करने, कम संख्या में परामर्शदाताओं को रखे जाने और प्रकाशन के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "National Crime Records Bureau" - the original provision of ₹6395.00 lakhs was augmented to ₹6527.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹132.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2034.95 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation/deferment of procurement proposals, hiring of less consultants and requirement of less funds towards publications.

(ङ) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण – पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्कीम" – ₹1377.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹195.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1572.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹276.50 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कार्यान्वयन एजेंसियों से दावे प्राप्त न

(E) "Modernisation of Police Force - National Scheme for Modernisation of Police and other Forces" - the original provision of ₹1377.00 lakhs was augmented to ₹1572.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹195.00 lakhs. However, there was a saving of ₹276.50 lakhs (including

होने के कारण हुई।

supplementary grant) - due to non-receipt of claims from the implementing agencies.

(चा) "सीमा प्रबंधन – भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को अनुदान" – ₹23629.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹115.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹23744.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹7348.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) आईसीपी, सुनौली के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण नियमों में परिवर्तन होने, फुल बॉडी ट्रक स्कैनर की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(F) "Border Management - Grants to Land Port Authority of India" - the original provision of ₹23629.00 lakhs was augmented to ₹23744.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹115.00 lakhs. However, there was a saving of ₹7348.00 lakhs (including supplementary grant) - due to change in State Government Lands Acquisition Rules on acquisition of land for ICP, Sunauli and delay in procurement of full Body Truck Scanner.

(III) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और मार्च, 2019 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः–

(III) Supplementary grant obtained in July, 2018, December, 2018 and March, 2019 under Major Head "2055" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "निदेशन और प्रशासन"

(A) "Direction and Administration" -

(क) "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के विभागीय लेखा संगठन" – ₹10311.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹890.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11201.00 लाख कर दिया गया था जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण ₹183.84 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Departmental Accounting Organisation of Central Armed Police Forces" - the original provision of ₹10311.00 lakhs was augmented to ₹11201.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹890.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹183.84 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(ख) "आप्रवासन ब्यूरो" – ₹48832.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2250.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹51082.00 लाख किया गया था जो, तथापि, रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर न भरे जाने और राशन मनी की संशोधित दरें न मिलने के कारण ₹1042.01 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Bureau of Immigration" - the original provision of ₹48832.00 lakhs was augmented to ₹51082.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2250.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1042.01 lakhs - due to non-filling up of vacant posts on deputation and non-receipt of revised rates of ration money.

(ग) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹7883.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹454.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8337.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे

(c) "Narcotics Control Bureau"- the original provision of ₹7883.00 lakhs was augmented to ₹8337.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹454.00 lakhs

जाने, एसआईएमएस सॉफ्टवेयर अधिप्राप्ति, वेबसाइट उन्नयन तथा आईटी मदों की अधिप्राप्ति, बिम्सटेक की बैठक के स्थगित होने तथा आम चुनावों के लिए आचार संहिता संबंधी विज्ञापन प्रसार प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹380.75 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

which, however, remained unutilised to the extent of ₹380.75 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposals for procurement of SIMS software, website upgradation and procurement of IT items, postponement of the meeting of BIMSTEC and non-finalisation of Advertisement Publicity proposals owing to code of conduct for general elections.

(घ) "राष्ट्रीय जांच एजेंसी" – ₹11271.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹958.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹12229.00 लाख किया गया था जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, स्थापना संबंधी बिलों की प्राप्ति न होने, बीपी जैकेटों की अधिप्राप्ति को मूर्त रूप न दिए, जाने हैदराबाद तथा गुवाहाटी के शाखा कार्यालय को अपने ही कार्यालय परिसर में स्थानान्तरित किए जाने के कारण परिसर के किराए के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹609.81 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(d) "National Investigation Agency" - the original provision of ₹11271.00 lakhs was augmented to ₹12229.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹958.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹609.81 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of establishment related bills, non-materialisation of procurement of BP jackets and requirement of less funds towards rent of hired office complex owing to shifting of branch office of Hydrabad and Guwahati in own office complex.

(खा) "आपराधिक जांच तथा सतर्कता – प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और जागरुकता कार्यक्रम" ₹2721.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैय्या कराई गईं थीं जो, तथापि, अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अगले वर्ष के लिए स्थगित किए जाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन न किए जाने की वजह से ₹2099.10 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही।

(B) "Criminal Investigation and Vigilance - Training, Capacity Building and Awareness Programmes" - funds of ₹2721.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹2099.10 lakhs - due to procurement proposals being deferred for the next year and non-conduction of training programmes.

(गा) "केंद्रीय आरक्षी पुलिस – स्थापना" – ₹1979911.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹181500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2161411.00 लाख किया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, कम बिजली बिलों की प्राप्ति होने/छुट्टी यात्रा खर्चों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने तथा अधिप्राप्ति प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण

(C) "Central Reserve Police - Establishment" - the original provision of ₹1979911.00 lakhs was augmented to ₹2161411.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹181500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹9999.79 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less electricity bills/claims towards leave

₹9999.79 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

travel expenses and medical reimbursement and non-materialisation of procurement proposals.

(घा) "सीमा सुरक्षा बल – सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹1692493.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹180229.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1872722.00 लाख किया गया जो, तथापि, बिलों के प्राप्त न होने और राशन मनी भत्ते की दरों में कम बढ़ोतरी होने के कारण ₹25787.88 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(D) "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" - the original provision of ₹1692493.00 lakhs was augmented to ₹1872722.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹180229.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹25787.88 lakhs - due to non-receipt of bills and less enhancement in the rates of Ration Money Allowance.

(ङ) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड – स्थापना" – ₹93449.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4564.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹98013.00 लाख किया गया जो, तथापि, राशन मनी की दर में संशोधन न होने तथा सीडीए द्वारा एलओए राशि बुक न किए जाने तथा कुछ आईटी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹1326.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(E) "National Security Guard - Establishment" - the original provision of ₹93449.00 lakhs was augmented to ₹98013.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4564.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1326.38 lakhs - due to non-revision of rate of ration money and LOA amount not booked by CDAs and non-finalisation of some IT proposals.

(चा) "दिल्ली पुलिस – दिल्ली पुलिस के यातायात तथा संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" – ₹4649.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1132.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5781.00 लाख किया गया जो, तथापि, कुछ अधिप्राप्ति प्रस्तावों को स्थगित किए जाने के कारण ₹1050.04 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(F) "Delhi Police - Modernisation on Traffic and Communication Network of Delhi Police" - the original provision of ₹4649.00 lakhs was augmented to ₹5781.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1132.00 lakhs which however, remained unutilised to the extent of ₹1050.04 lakhs - due to deferment of some procurement proposals.

(छा) "सशस्त्र सीमा बल – स्थापना" – ₹483085.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹52200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹535285.00 लाख किया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों का पुनर्निर्धारण किए जाने, एसएससी के दावों का समाधान न होने तथा बाल शिक्षा भत्ता और राशन मनी के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण ₹3124.40 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(G) "Sashastra Seema Bal - Establishment" - the original provision of ₹483085.00 lakhs was augmented to ₹535285.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹52200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹3124.40 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, rescheduling of procurement proposals, non-settlement of claims of SSC and requirement of less funds towards children education allowance and ration money.

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं :–

(IV) Under Major Head "2055" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" – ₹505.16 लाख की बचत (₹2820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एजेंसी के लिए परामर्शदाता रखे जाने में विलंब के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - National Intelligence Grid" - saving of ₹505.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2820.00 lakhs) was due to delayed onboarding of consultants for the agency.

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(B) "Education and Training"-

(क) "केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" – ₹582.13 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹50.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2224.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कम संख्या में दौरे किए जाने के कारण हुई।

(a) "Central Detective Training School"- saving of ₹582.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2224.00 lakhs including supplementary grant of ₹50.00 lakhs obtained in December, 2018) was due to non-finalisation of procurement proposals and less tours undertaken.

(ख) "राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फारेंसिक विज्ञान संस्थान" – ₹643.05 लाख की बचत (₹91.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2199.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, एलएएन अपग्रेडेशन, एनआईसीएसआई के माध्यम से एनआईसी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग को अंतिम रूप न दिए जाने, संस्थान परिसर में सीसीटीवी न लगाए जाने, कम संख्या में विज्ञापन देने तथा प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(b) "National Institute of Criminology and Forensic Science" - saving of ₹643.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2199.00 lakhs including supplementary grant of ₹91.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement proposals, non-finalisation of LAN upgradation, video conferencing by NIC through NICSI, non-installation of CCTV in the Institute campus, less advertisement and non-approval of proposals.

(ग) "केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" – ₹570.59 लाख की बचत (₹25.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1950.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम संख्या में विज्ञापन देने तथा कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(c) "Central Academy for Police Training"- saving of ₹570.59 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1950.00 lakhs including supplementary grant of ₹25.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals, less advertisements and receipt of less claims.

(गा) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण – राज्य पुलिस संगठन को सहायता" – ₹548.33 लाख की बचत (₹7700.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से मांग आवश्यकता के आधार पर अधिप्राप्ति प्रस्तावों को स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(C) "Modernisation of Police Force - Assistance to State Police Organisation in kind" - saving of ₹548.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7700.00 lakhs) was due to deferment of procurement proposals based on demand requirement from the State Governments.

(घा) "अन्य व्यय" –

(क) "टियर स्मोक सामग्री की खरीद, निर्माण तथा वितरण" – ₹727.86 लाख की बचत (₹82.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4493.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कच्ची सामग्रियों के रद्द होने तथा निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "निर्भया निधि परियोजना" – ₹2260.23 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों से कम दावों/मांगों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्य को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – पुलिस संबंधी खर्चों के लिए अनुदान/प्रतिपूर्ति के अंतर्गत" – ₹3510.37 लाख की बचत (₹10857.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस बटालियनों की तैनाती की लागत के लिए राज्य सरकारों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹25813.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी, 2019 में मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹4611.62 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "असम राइफल्स – स्थापना और प्रशासन" – ₹13846.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹13259.14 लाख था।

(खा) "सीमा सुरक्षा बल – भारत – तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹3080.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2684.33 लाख था।

(गा) "औद्योगिक सुरक्षा बल – निदेशन और प्रशासन" – ₹3082.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2823.03 लाख था।

(D) "Other Expenditure"-

(a) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹727.86 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4493.00 lakhs including supplementary grant of ₹82.00 lakhs) was due to rejection of raw materials and non-finalisation of tenders.

(b) "Nirbhaya Fund Project" - saving of ₹2260.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to receipt of less claims/demands from the executing agencies.

(V) Under Major Head "3601"- "Other Transfer/ Grants to State - Special Assistance - Grants/Re-imbursement for Police Related Expenses"- saving of ₹3510.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10857.00 lakhs) was due to less/non-receipt of claims from State Governments towards cost of deployment of police battalions.

3.(I) The above savings were partly (₹25813.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹4611.62 lakhs in February, 2019 under Major Head "2055" -under the following heads:-

(A) "Assam Rifles - Establishment and Administration" - ₹13846.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13259.14 lakhs.

(B) "Border Security Force - Indo-Tibetan Border Police" - ₹3080.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2684.33 lakhs.

(C) "Industrial Security Force - Direction and Administration" - ₹3082.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2823.03 lakhs.

(घा) "दिल्ली पुलिस – निदेशन और प्रशासन" – ₹5805.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹5262.04 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "2055" – "निदेशन और प्रशासन – आसूचना ब्यूरो" – ₹8538.95 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर 2018 में प्राप्त ₹13915.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹199329.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुप्त सेवा व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा डीजीपी सम्मेलन की प्रतिबद्ध देयता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" –

(क) "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹10534.98 लाख का अधिक व्यय (₹299019.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "राज्य को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीमें" – ₹4115.50 लाख का अधिक व्यय (जुलाई, 2018 और दिसंबर 2018 में प्राप्त ₹68226.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹70126.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्यों में सुरक्षित शहर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

4. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्न प्रकार हुईं:–

(I) *₹40.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(D) "Delhi Police - Direction and Administration" - ₹5805.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5262.04 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following heads:-

(A) Major Head "2055" - "Direction and Administration - Intelligence Bureau" - excess of ₹8538.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹199329.00 lakhs including supplementary grant of ₹13915.00 lakhs obtained in December, 2018 was due to requirement of additional funds towards Secret Service Expenses and committed liability of DGP Conference.

(B) Major Head "3601" -

(a) "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Modernisation of Police Forces" - excess of ₹10534.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹299019.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards relief and rehabilitation by Government of Jammu and Kashmir.

(b) "Other Transfer/Grants to State - Special Assistance - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - excess of ₹4115.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹70126.00 lakhs including supplementary grant of ₹68226.00 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018) was due to requirement of additional funds towards implementation of Safe City Projects in various States.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred as under:-

(I) *Appropriation* of *₹ 40.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹*283.10 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 57 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of ₹*283.10 lakhs* occurred constituting 57 percent of the sanctioned *appropriation*.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹151256.38 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹2566.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹151256.36 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2566.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 14 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| मुख्य शीर्ष "4055" | Major Head "4055" | | | | |
| पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Police | | | | |
| मू. | O. | 1036041.00 | | | |
| पू. | S. | 2566.00 | 964796.00 | 957044.64 | -7751.36 |
| पु. | R. | -73811.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "4552" | Major Head "4552" | | | | |
| पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 69694.00 | | | |
| | | | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -69694.00 | | | |

4.(I) सोलह शीर्षों के अंतर्गत ₹71086.00 लाख का प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹69694.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गएः–

4.(I) Provision of ₹71086.00 lakhs remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹69694.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - under the following heads: -

(का) "असम राइफल्स" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹11613.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹14122.00 लाख;

(खा) "सीमा सुरक्षा बल" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹3360.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹5100.00 लाख;

(गा) "सशस्त्र सीमा बल" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹10557.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹9550.00 लाख;

(घा) "केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹4900.00 लाख;

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹2240.00 लाख;

(ङ) "सीमा प्रबंधन – भारत–बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य" – ₹5000.00 लाख;

(चा) "भारत तिब्बत सीमा पुलिस" –

(क) "आवासीय भवन" – ₹1302.00 लाख; और

(ख) "कार्यालय भवन" – ₹1950.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" – "विशेष पुलिस – निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीम" – ₹2564.00 लाख की निधियां

(A) "Assam Rifles" -

(a) "Residential Building" - ₹11613.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹14122.00 lakhs;

(B) "Border Security Force" -

(a) "Residential Building" - ₹3360.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹5100.00 lakhs;

(C) "Sashastra Seema Bal" -

(a) "Residential Building" - ₹10557.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹9550.00 lakhs;

(D) "Central Reserve Police Force"-

(a) "Residential Building" - ₹4900.00 lakhs;

(b) "Office Building" - ₹2240.00 lakhs;

(E) "Border Management- Indo-Bangladesh Border Works" - ₹5000.00 lakhs;

(F) "Indo Tibetan Border Police"-

(a) "Residential Building" - ₹1302.00 lakhs; and

(b) "Office Building" - ₹1950.00 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on Projects/ Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4055" - "Special Police - Scheme Financed from Nirbhaya Fund" - funds of

पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैय्या कराई गई थीं जो, तथापि, बोली दाताओं के उपलब्ध न होने की वजह से निविदाओं के समाप्त किए जाने के कारण ₹1725.30 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

₹2564.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹1725.30 lakhs - due to scrapping of tenders owing to unavailability of bidders.

(III) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads: -

(का) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस – आधुनिकीकरण" – ₹7487.06 लाख की बचत (₹8921.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Central Reserve Police - Modernisation" - saving of ₹7487.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8921.00 lakhs);

(खा) "असम राइफल्स" –

(B) "Assam Rifles" -

(क) "सामान्य" – ₹2329.70 लाख की बचत (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹17300.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "General" - saving of ₹2329.70 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹17300.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh); and

(ख) "आधुनिकीकरण" – ₹1044.01 लाख की बचत (₹4590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Modernisation" - saving of ₹1044.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4590.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of proposals.

(गा) "सीमा सुरक्षा बल – सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹9358.93 लाख की बचत (₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹117623.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी गति, प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने तथा बिलों का समाधान न होने के कारण हुई।

(C) "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" - saving of ₹9358.93 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹117623.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh) was due to slow pace of work by executing agencies, non-approval of proposals and non-settlement of bills.

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" –

(D) "National Security Guard"-

(क) "सामान्य" – ₹3698.42 लाख की बचत (₹7350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने तथा उपस्करों की सुपुर्दगी न होने के कारण हुई।

(a) "General" - saving of ₹3698.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7350.00 lakhs) was due to non-approval of procurement proposals and non-delivery of equipments.

(ख) "आधुनिकीकरण" – ₹2131.25 लाख की बचत (₹2526.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Modernisation" - saving of ₹2131.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2526.00 lakhs) was due to non-materialisation of tenders.

(ग) "आवासीय भवन" – ₹2991.86 लाख की बचत (₹6790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में विलंब की वजह से हुई।

(c) "Residential Building" - saving of ₹2991.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6790.00 lakhs) was due to delay in tendering process.

(ङ) "अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण" –

(E) "Research, Education and Training"-

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹1351.38 लाख की बचत (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2806.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इब्राहीमपट्टनम में चारदीवारी के निर्माण के लिए प्रस्ताव को मूर्त रूप न दिए जाने, कम तकनीकी बोलियां प्राप्त होने तथा सीएनई परियोजना पूरी होने में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "National Police Academy" - saving of ₹1351.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2806.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh) was due to non-materialisation of proposal for construction of compound wall at Ibrahimpatnam, receipt of less technical bids and delay in completion of CNE project.

(ख) "केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" – ₹2816.22 लाख की बचत (₹4815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(b) "Central Detective Training School" - saving of ₹2816.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4815.00 lakhs) was due to slow progress of works by executing agencies.

(च) "दिल्ली पुलिस – महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम" – ₹1284.53 लाख की बचत (₹1526.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निष्पादन एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने में विलंब के कारण हुई।

(F) "Delhi Police - Scheme for safety of women" - saving of ₹1284.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1526.00 lakhs) was due to delay in commencement of construction work by the execution of agencies.

(छ) "तटीय सुरक्षा – तटीय सुरक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" – ₹17507.08 लाख की बचत (₹17588.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(G) "Coastal Security - Assistance to States/ UT's for Coastal Security" - saving of ₹17507.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17588.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(ज) "अन्य पुलिस संगठन" –

(H) "Other Police Organizations" -

(क) "राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" – ₹2097.98 लाख की

(a) "National Intelligence Grid" - saving of

बचत (₹9962.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ख) "समन्वय (पुलिस बेतार) निदेशालय" – ₹1149.47 लाख की बचत (₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1740.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "टियर स्मोक सामग्री की खरीद, निर्माण तथा वितरण" – ₹1018.90 लाख की बचत (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1226.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(घ) "अनुसंधान" – ₹192900.65 लाख की बचत (₹298300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदागत दायित्वों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा उपलब्धि आधारित भुगतानों में विलंब के कारण हुई।

(ङ) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹2264.88 लाख की बचत (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4200.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण हुई।

(च) "राष्ट्रीय जांच एजेंसी" – ₹1020.26 लाख की बचत (₹6450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य पूरा करने के लिए तारीखों के पुनः निर्धारण किए जाने के कारण हुई।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1132.89 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से 62 प्रतिशत थी।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹134625.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं

₹2097.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9962.00 lakhs);

(b) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹1149.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1740.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh); and

(c) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹1018.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1226.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh).

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of procurement proposals.

(d) "Research" - saving of ₹192900.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹298300.00 lakhs) was due to non-fructification of contractual obligations and delay in milestone payments.

(e) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹2264.88 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4200.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh) was due to slow pace of work by executing agencies.

(f) "National Investigation Agency" - saving of ₹1020.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6450.00 lakhs) was due to rescheduling of completion dates of work.

(III) Under three heads savings of ₹1132.89 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 29 percent to 62 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above saving were partly (₹134625.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-

जैसा कि मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "केंद्रीय आरक्षी पुलिस" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹20489.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹20370.18 लाख था।

(ख) "आवासीय भवन" – ₹26900.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹26715.88 लाख था।

(ग) "सामान्य" – ₹6219.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5831.52 लाख था।

(खा) "असम राइफल्स – सीमा बाहरी चौकी" – ₹500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹499.99 लाख था।

(गा) "सीमा सुरक्षा बल – भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹781.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹687.94 लाख था।

(घा) "विशेष सुरक्षा दल – कार्यालय भवन" – ₹13500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹13499.99 लाख था।

(ङ) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण – केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा संस्थान" – ₹6910.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6909.95 लाख था।

(चा) "दिल्ली पुलिस" –

(क) "दिल्ली पुलिस आवास संबंधी सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल" – ₹1100.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1099.77 लाख था।

(ख) "दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम" – ₹3925.00

appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police"-

(a) "Office Buildings" - ₹20489.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹20370.18 lakhs.

(b) "Residential Buildings" - ₹26900.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹26715.88 lakhs.

(c) "General" - ₹6219.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5831.52 lakhs.

(B) "Assam Rifles - Border Out Post" - ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹499.99 lakhs.

(C) "Border Security Force - Indo-Tibetan Border Police" - ₹781.00 lakhs. Actual excess, however was ₹687.94 lakhs.

(D) "Special Protection Group - Office Buildings" - ₹13500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13499.99 lakhs.

(E) "Research, Education and Training - Central Armed Police Force Institute of Medical Science" - ₹6910.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6909.95 lakhs.

(F) "Delhi Police" -

(a) "Public Private Partnership Initiative on Delhi Police Housing" - ₹1100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1099.77 lakhs.

(b) "Delhi Police Building Programme" -

लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3922.92 लाख था।

(ग) "दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" – ₹5100.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5042.60 लाख था।

(छा) "सशश्त्र सीमा बल – सीमा बाहरी चौकी" – ₹2000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1949.75 लाख था।

(जा) "सीमा प्रबंधन" –

(क) "भारत–बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य" – ₹33400.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹33349.39 लाख था।

(ख) "भारत–पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य" – ₹10801.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹10677.84 लाख था।

(ग) "भारत – चीन सीमा निर्माण कार्य" – ₹3000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3011.81 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) "असम राइफल्स" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹14121.95 लाख का अधिक व्यय (₹2413.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "आवासीय भवन" – ₹8499.91 लाख का अधिक व्यय (₹1489.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "सशस्त्र सीमा बल" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹9398.94 लाख का अधिक

₹3925.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3922.92 lakhs.

(c) "Modernisation of Traffic & Communication Network of Delhi Police" - ₹5100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5042.60 lakhs.

(G) "Sashastra Seema Bal - Border Out Posts" - ₹2000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1949.75 lakhs.

(H) "Border Management" -

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - ₹33400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹33349.39 lakhs.

(b) "Indo-Pak Border Works" - ₹10801.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10677.84 lakhs.

(c) "Indo-China Border" - ₹3000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3011.81 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4055" under the following heads:-

(A) "Assam Rifles" -

(a) "Office Buildings" - excess of ₹14121.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2413.00 lakhs);

(b) "Residential Buildings" - excess of ₹8499.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1489.00 lakhs);

(B) "Sashastra Seema Bal" -

(a) "Office Buildings" - excess of ₹9398.94

व्यय (₹26455.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "आवासीय भवन" – ₹8508.73 लाख का अधिक व्यय (₹14915.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) "अन्य पुलिस संगठन – आसूचना ब्यूरो" – ₹715.67 लाख का अधिक व्यय (₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11020.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹301.86 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत था।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹26455.00 lakhs); and

(b) "Residential Buildings" - excess of ₹8508.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14915.00 lakhs.

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) "Other Police Organisations - Intelligence Bureau" - excess of ₹715.67 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11020.02 lakhs including supplementary grant of ₹0.02 lakhs) was due to purchase of machinery and equipment.

(III) Under one head excess of ₹301.86 lakhs occurred constituting 20 percent of the total sanctioned provision.